संख्या-356/2024/1510/नौ-5-2024/002-Computer No 1772402-Park

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
2-नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन।
3-अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 11 मार्च, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पार्को का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर के पार्को का निर्माण एवं विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ, नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा-वृन्दावन एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीलीभीत, जनपद-पीलीभीत में स्थित पार्को का निर्माण एवं विकास हेतु **रू. 366.73 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संलग्न विवरण के अनुसार प्रथम किश्त के रूप में **रू0 340.00 लाख (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी.एल.ए./डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। यह कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर सम्पादित की जायेगी तथा निकाय द्वारा बीजक प्रस्तुत किये जाने की तिथि से तीन दिवस के अन्दर धनराशि निकाय के खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है।
3. पार्क के लिए चाहर-दीवारी तथा यथा सम्भव पार्किंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायेगी।
4. पार्क में महिला एवं पुरूष प्रसाधन अलग-अलग होगें।
5. पार्क में घास एवं पर्याप्त हरियाली के लिए छायादार पेड पौधे तथा फूल इत्या्दि लगाये जायेगें।
6. शुद्ध पेयजल एवं पेड पौधों की सिचांई हेतु समर्सेबिल पम्प लगाये जायेगें।
7. कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी संबंधित निकाय की होगी तथा निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
10. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं/कार्यक्रमों में पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य हेतु पूर्व में किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वींकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

2-

11. कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था, कार्य प्रारम्भ होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।
12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जाय।
13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।
14. कार्य की गुणवत्ता का उत्तरदायित्व, संबंधित निकाय के अधिशासी अधिकारी की होगी।
15. वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चत करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त, नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त, विभाग को दे दी जाय।
16. इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,40,00,000 (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801920800 पार्कों का निर्माण एवं विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
11.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-356/2024/1510(1)/नौ-5-2024/002-Computer No 1772402-Park, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ.प्र. प्रयागराज ।
3- संबंधित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
4- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
5- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7-संबंधित नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
8-संबंधित अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, उत्तर प्रदेश।
9-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1/2।
10-निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11-गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल/सुपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

आज्ञा से,
11.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Tiwari ji-Go-2019-Park-VC

संख्या-356/2024/1510(2)/नौ-5-2024/002-Computer No 1772402-Park दिनांक 11 मार्च, 2024

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	जनपद / निकाय का नाम	कार्य	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1.	नगर निगम, लखनऊ	महानगर सचिवालय कालोनी पार्क का सौन्दर्यीकरण व जीर्णोद्धार कार्य	99.99	99.99
2.	नगर पालिका परिषद, पीलीभीत	नेहरू ऊर्जा उद्यान पार्क का विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य।	145.81	145.81
3.	नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन	वार्ड नं0 6 आनन्द नगर में मंदिर वाले पार्क का सौन्दर्यीकरण कार्य।	120.93	94.20
		योगः–	**366.73**	**340.00**

रू0 340.00 लाख (रुपये तीन करोड़ चालीस लाख मात्र)

11.03.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-11/03/2024

प्रेषण संख्या:- 356
आवंटन आदेश संख्या:- 001-356-2024-1510-9-5-2024-002-CN-1772402-Park
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
08 - पार्कों का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मथुरा-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9420000 9420000	9420000 9420000
2	पीलीभीत-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14581000 14581000	14581000 14581000
3	लखनऊ कलेक्ट्रेट -4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	9999000 9999000	9999000 9999000
	योग	वर्तमान प्रगामी	34000000 34000000	34000000 34000000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चालीस लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ चालीस लाख

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव